अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 21/2016- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि.______(अ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/2004- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 6 सितंबर, 2004 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, --

(क) पैरा 1 को उसके (1क) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित पैरा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1ख) पैरा (1क) के अधीन फाइल घोषणा के साथ आगत और निर्गत के अनुपात की शुद्धता की बाबत चार्टर्ड अभियंता का प्रमाण-पत्र लगा होगा जहां वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित मानक आगत और निर्गत मान की प्रति, यदि नियत है, विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल की बाबत प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पूर्व चार्टड अभियंता उपलब्ध कराई गई है ।";

(ख) पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) घोषणा का अनुमोदन–केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद उप आयुक्त चार्टर्ड अभियंता द्वारा जारी प्रमाणपत्र और पैरा (1क) के भिन्न फाइल घोषणा के आधार पर ऐसे माल के निर्यात के आरंभ के पूर्व तैयार माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण और निर्यात के लिए आवेदक को अनुज्ञा दे सकेगा;

स्पष्टीकरण: ऐसी घोषणा की शुद्धता की बाबत संदेह की दशा में, केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद उप आयुक्त कारखाने का दौरा कर सकेगा और फाइल की गई ऐसी घोषणा की शुद्धता को सत्यापित कर सकेगा ।";

(ग) पैरा (3) में,--

(i) परंतुक में, "सेनवेट प्रत्यय नियम, 2002" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर, "सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतु अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किसी सेनवेट प्रत्यय का फायदा नहीं उठाया जाएगा।";

(घ) पैरा (6) में "दर्ज किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्;

" केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व दर्ज किया जाएगा,";

(ङ) प्ररूप एआरई-2 में "सेनवेट प्रत्यय नियम, 2002" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक 21/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 6 सितंबर, 2004, सा.का.नि.572(अ) तारीख 6 सितंबर, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 02/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 22 फरवरी, 2012 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 100(अ), तारीख 22 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किया गया था ।